

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: ए.ई/03/नि.वि.-1/वर्ग-2/ई-mail/293/2021/खंड-1/1360

दिनांक: 23-12-2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या AE-2/05/CC/GR-1/179/2024/VOL-2/I/1174639/2025 दिनांक 24-10-2025 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि विभाग कि अधिकारिक ईमेल सुविधा पुराने पोर्टल email.gov.in से नए पोर्टल mail.gov.in पर माइग्रेट हो गयी है एवं यह सूचित किया गया था कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें नए पोर्टल पर अपनी अधिकारिक Email-id के लॉग इन करने पर यदि यह सन्देश प्रदर्शित होता है कि "This account does not exist", ऐसे अधिकारी/कर्मचारी Google Form (<https://forms.gle/qoC2fgUFRKXZJ9mr6>) पर वांछित विवरण भरें।

इस क्रम में सूचित किया जाता है कि प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के कई अधिकारियों/कर्मचारियों से इस कार्यालय को अपने अधिकारिक ईमेल पर लॉग करने के सम्बन्ध में कई समस्याओं की सूचना प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि उक्त Google Form भरते समय प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा "Official Email Id." कॉलम में अपना व्यक्तिगत ईमेल (gmail/अन्य) भरा गया है एवं अन्य त्रुटियाँ भी की गयीं हैं।

इस सम्बन्ध में प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि अपने अधिकारिक ईमेल को प्रयोग करने हेतु mail.gov.in का ही प्रयोग करें। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें नए पोर्टल पर अपनी अधिकारिक Email-id के लॉग इन करने पर यदि यह सन्देश प्रदर्शित होता है कि "This account does not exist", ऐसे अधिकारी/कर्मचारी Google Form (<https://forms.gle/qoC2fgUFRKXZJ9mr6>) पर वांछित विवरण भरें। Form भरते समय, यह सुनिश्चित करें कि भरा गया डाटा त्रुटिरहित है एवं "Official Email Id." कॉलम में केवल अपनी name-based अधिकारिक ईमेल ही भरी जाए।

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई/03/नि.वि.-1/वर्ग-2/ई-mail/293/2021/खंड-1/544-547

दिनांक: 23-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक), उ.प्र., प्रयागराज।
2. समस्त प्रभागीय अधिकारियों/अधिकाधी अभियंताओं को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ITCG, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को ऑफिस कि वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-1